न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक : ....

नारायण सिंह (मृत)
द्वारा उत्तराधिकारी

01. रामकुंवर पत्नी स्व. श्री नारायण सिंह
02. गयाप्रसाद पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह
03. मुन्नी बाई पुत्री स्व. श्री नारायण सिंह
04. कला बाई पुत्री स्व. श्री नारायण सिंह
05. भागवती बाई पुत्री स्व. श्री नारायण सिंह
06. कमलसिंह पुत्र स्व. नंदराम
07. नवलसिंह पुत्र स्व. नंदराम
08. मोतीलाल पुत्र स्व. नंदराम

समस्त कृषक, जाति कुर्मी, समस्त निवासीगण–
ग्राम भुजपुराकलां, तहसील बैरसिया,
ज़िला भोपाल .... प्रार्थीगण

विरूद्ध

माधौसिंह आत्मज स्व. श्री हीरालाल, जाति कुर्मी
निवासी ग्राम भुजपुराकलां, तहसील बैरसिया,
ज़िला भोपाल .... प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 22.04.2015, जो प्रकरण क्रमांक 30/निग/10–11 में न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित किया गया

श्रीमान जी,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

ब्रज किशोर श्रीवास्तव
निरंतर......
25, हरि निवास ...
तलैया, भोपाल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1359—पीबीआर / 16 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27—7—2016	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 22—4—2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदकगण का स्थगन हेतु प्रस्तुत वाद निरस्त किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की ओर से संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा निगरानी निरस्त करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	28/7/16